

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या - 2213

सोमवार, 02 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन

2213. श्री वी वैधिलिंगम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली को इसके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए निधि प्रदान करती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से कितने सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;
- (ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इनकी पेंशन हेतु स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार पुदुचेरी में भी इसी मानदंड का अनुसरण करने की योजना बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार को इस संबंध में पुदुचेरी सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): भारत सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन देयता वहन करती है। पेंशन के लिए विभिन्न प्राधिकृत बैंकों द्वारा भेजे गए ई-स्कॉल के अनुसार, 20.11.2019 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 46,379 पेंशनभोगी केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पेंशनभोगियों के लिए उपयोग की गई धनराशि (आंकड़े ई-लेखा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भुगतान और लेखा कार्यालयों द्वारा दर्ज किए गए व्यय पर आधारित हैं)
2017-18	2416.02
2018-19	2400.87 (अनंतिम)
2019-20	3513.67*

*3513.67/- करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें से अक्टूबर, 2019 के अनंतिम लेखाओं के अनुसार व्यय की गई राशि 1083.49/- करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ): पुदुचेरी सरकार के अपने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन देयता और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को पूरा करने के अनुरोध पर विचार किया गया है और उसे स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी के मामले एक समान नहीं हैं।
